उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार–249404

Website : www.ukpsc.gov.in

☎ 01334.244143

संख्या : 624 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा–1 / 2016–17   दिनांक : 11 फरवरी, 2019

विस्तृत विज्ञप्ति

एतद्द्वारा विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04.09.2018 के द्वारा 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2018' के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के प्रवक्ता हेतु विज्ञापित किए गये थे। प्रश्नगत परीक्षा के अन्तर्गत प्रथम चरण में **08 विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, जीव विज्ञान, संस्कृत, रसायन शास्त्र एवं समाजशास्त्र)** की स्क्रीनिंग परीक्षा दिनॉक 29, 30 एवं 31 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की गयी थी एवं उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 11 फरवरी, 2019 को घोषित किया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के चयन परिणाम दिनांक 11 फरवरी, 2019 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ **दिनांक 28 फरवरी, 2019 की सांय 06:00 बजे** तक **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार, पिन–249404** के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें :–

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
3. स्नातक समस्त वर्षों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
4. परास्नातक समस्त वर्षों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
5. बी0एड0 की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि अथवा एल0टी0 डिप्लोमा।
6. विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 10.10.2018 तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र।
7. यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हो तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)।
8. स्थाई निवास / आरक्षण की उध्वार्धर (SC, ST, OBC) एवं क्षैतिज (UF, EXS, PH, DFF) श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
9. अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

10. यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में।

11. ऐसे अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 से पूर्व का हो, **उन्हें नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र के साथ** संबंधित तहसील से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वे प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अन्तर्गत आच्छादित थे।

नोट : किसी एक विषय की दोनों शाखाओं (सामान्य/महिला) के सापेक्ष सफल होने वाले अथवा एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल अभ्यर्थी, उस विषय की दोनों शाखाओं अथवा विषयों हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उदाहरण : 1– यदि कोई अभ्यर्थी हिन्दी विषय की दोनों शाखाओं (सामान्य/महिला) हेतु सफल घोषित की जाती है, तो उस अभ्यर्थी को हिन्दी विषय की दोनों शाखाओं हेतु पृथक–पृथक 02 आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित आयोग को निर्धारित समायान्तर्गत उपलब्ध कराने होंगे।

2– यदि कोई अभ्यर्थी हिन्दी (सामान्य शाखा) एवं अंग्रेजी (महिला शाखा) दोनों विषयों के सापेक्ष सफल होते हैं, तो उसे हिन्दी (सामान्य शाखा) एवं अंग्रेजी (महिला शाखा) दोनों विषयों हेतु पृथक–पृथक 02 आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित आयोग को निर्धारित समायान्तर्गत उपलब्ध कराने होंगे।

जिन अभ्यर्थियों के पास अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है, वे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति निम्न प्रक्रिया द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं :–

1. अभ्यर्थी ukpsconline.in पर जाकर अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग इन करें।
2. उसके पश्चात् My Application लिंक पर जाकर Please select year में 2018 एवं Post Name में पूर्व में आवेदन किये गये हुए विज्ञापन का चयन करें।
3. प्रदर्शित हुए आवेदन पत्र को Select कर View Application बटन पर क्लिक करें।

4. आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जायेगा। प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी अभिलेखों के लिफाफे के ऊपर **'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2018' (प्रथम चरण), आवेदित विषय, आवेदित शाखा एवं अनुक्रमांक अवश्य अंकित करें।** जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (संलग्नकों सहित) दिनांक **28 फरवरी, 2019** तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा, उन्हें आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। डाक विभाग की देरी हेतु आयोग कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।